

प्रारूप-3

भाग-2 (संश्लिष्ट उप वन संरक्षण द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति **ग्राम मोजांव के नजद गधरे में जिला के निरक्षण हेतु 0.509 हेक्टा का प्रयोजन**

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र **उत्तरप्रदेश**

(ii) जिला **अजमेर**

(iii) जिला वन प्रभाग **अजमेर वन प्रभाग अजमेर**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **0.509 हेक्टा**

17 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति **रिजर्व टैब सोम नर इमि टैब नर पंचायत इमि**

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्थिति का ब्यौरा **हवा बिहीन भूक**

(i) वन का प्रकार **ओपन फॉरेस्ट**

(ii) वनस्थिति का औसत पूर्ण घनत्व **10**

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना **हवा बिहीन भूक**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा **कोई नहीं**

19 भूकरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षणता पर संक्षिप्त टिप्पण **अक्षय की समतल नहीं**

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी **2.00 कि.मी.**

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता **निकट नहीं**

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा **महल्लू नर नर जीव विज्ञान नहीं**

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव आवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपायद्व किएं जाने में मुख्य वन्य जीव वाईन की और टीका टिप्पणियों उपायद्व की जाए) **नहीं**

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाईन की टीका-टिप्पणियों उपायद्व की जाए) **नहीं**

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव आवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाईन की टीका-टिप्पणियों उपायद्व की जाए) **नहीं**

(v) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसके खतरे की प्रजातिया हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरा **नहीं**

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायद्व किएं जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) **नहीं**

23 पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधाता के बारे में टीका टिप्पणिया दें **कोई नहीं**

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोजन अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **अपरिहार्य टैब नर नर इमि टैब**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफरिश किएं गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। **है**

24. किएं गए अतिक्रमण के ब्यौरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है **नहीं/नहीं**

(ii) यदि हा, की गई कार्य अपवि, अतिक्रमण में अंतर्लित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (पों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (पों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **नहीं**

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है **नहीं/नहीं**

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। **अक्षय नहीं**

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किएं गए वन क्षेत्र या अलग वन जैसे ब्यौरे दें। **नहीं**

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किएं गए वन वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **नहीं**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों, कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के व्योप सलग्न है
(नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय ~~नहीं~~

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पर्याप्त किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंधित उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है (हां/नहीं)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समावात से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हां/नहीं)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

~~प्रस्ताव स्वीकृति के रूप में जारी है।~~

स्थान: ~~काठमांडू~~
तारीख: 13-3-2015

हस्ताक्षर: ~~मदन~~ शास्त्रीय मुद्रा
प्रभागीय वनोपकारि,
अरुमोड़ा वन प्रभाग, अरुमोड़ा